भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3037
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हिसार विमानपत्तन का विकास

3037. श्री जय प्रकाश:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिसार विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन के रूप में विकसित करने की घोषणा के बावजूद, हाल ही में हुई एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना के दौरान सुरक्षित लैंडिंग के लिए उपयुक्त रनवे न होने और रनवे की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हिसार विमानपत्तन पर रनवे, टैक्सीवे और अन्य विमानन अवसंरचना की कोई तकनीकी और संरक्षा संपरीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को रनवे पर समय से पहले गड्ढे होने और अन्य संरचनात्मक कमियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसकी जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, साथ ही जिम्मेदार पाई गई एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार ने हिसार विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक सुरक्षित और पूरी तरह से कार्यशील विमानपत्तन के रूप में विकसित करने के लिए क्या समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाला हिसार हवाईअड्डा परिचालनशील हवाईअड्डा है, जिसके पास ऑल वैदर/इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स (आईएफआर) परिचालनों के लिए लागू नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अनुपालन के सत्यापन पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी एयरोड्रोम लाइसेंस है। यह हवाईअड्डा, 3,000 मीटर रनवे के साथ 4सी आईएफआर हवाईअड्डा के लिए लाइसेंस प्राप्त है जो एयरबस ए320-200 श्रेणी के विमानों की सुरक्षित हैंडल करने में सक्षम है। इसके अलावा, हाल ही में चार्टर्ड विमान दुर्घटना के संबंध में, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) ने विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2025 के नियम 11 के तहत जांच का आदेश दिया है। वर्तमान में यह जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद अंतिम जांच रिपोर्ट एएआईबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

(ख): नागर विमानन महानिदेशालय, लागू विनियामक अपेक्षाओं के निरंतर अनुपालन को सत्यापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों का नियमित निगरानी निरीक्षण करता है। जुलाई, 2026 के दौरान हिसार हवाईअड्डे का वार्षिक निगरानी निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान कोई सुरक्षा-संवेदनशील (स्तर-1) निष्कर्ष नहीं देखे गए।

(ग) एवं (घ): हिसार हवाईअड्डा रनवे पर समय से पहले गड्ढे होने या अन्य संरचनात्मक कमियों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय को कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ङ): हिसार हवाईअड्डे का स्वामित्व हरियाणा सरकार के पास है। राज्य सरकार द्वारा परिचालन आवश्यकताओं और डीजीसीए द्वारा निर्धारित लागू विनियामक मानकों के अनुसार हवाईअड्डा अवसंरचना का विकास समय-समय पर किया जाता है।
